

प्रेस नोट दिनांक 28.09.2020
थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रेस्टोरेन्ट एवं बार मे हुक्का को पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है, इसी क्रम मे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली ने जनपद बरेली मे विभिन्न स्थानो पर स्थापित रेस्टोरेन्ट एवं बार पर समय समय पर चैकिंग किये जाने व किसी भी अनियमितता के पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।दिनांक 27.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण मे थाना प्रेमनगर क्षेत्र मे स्थापित रेस्टोरेन्ट एवं बार की आकस्मिक चैकिंग की गयी। ग्रीन चिल्ली निकट डी.डी.पुरम पेट्रोल पम्प मे उ0नि0 मदन सिंह द्वारा मय टीम के दबिश दी गयी। दबिश के दौरान रेस्टोरेन्ट के अन्दर कम उम्र के बच्चे हुक्का पीते हुए मिले मौके पर ही सौरभ पुत्र महेश नि0 संजयनगर थाना बारादरी जो रेस्टोरेन्ट मे कुक का काम करता है तथा शानू भारती पुत्र दयाशंकर नि0 माधौवाडी थाना बारादरी बरेली रेस्टोरेन्ट मे वेटर का काम करता है को गिरफ्तार किया गया तथा रेस्टोरेन्ट का संचालक मोईन अहमद पुत्र मुनीर अहमद नि0 शाहबाद मौके से फरार हो गया मौके पर तीन हुक्का चालू हालत मे तथा दो हुक्का टूटे हुए एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां बरामद हुयी उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना प्रेमनगर पर मु0अ0स0 582/2020 धारा 188,269.270 भादवि 3 महामारी अधिनियम 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम एवं 77 किशोर न्याय अधिनियम पंजीकृत किया गया। उपरोक्त रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध पूर्व मे भी मु0अ0स0 0024/2020 धारा 269 भादवि 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम पंजीकृत है। जिसमे आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । अभि0 मोईन की तलाश जारी है।

दिनांक 27.09.2020 को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण मे थाना प्रेमनगर क्षेत्र मे स्थापित रेस्टोरेन्ट एवं बार की आकस्मिक चैकिंग की गयी। ब्रू बेरी एस.एस.डी प्लाजा आईसीआईसीआई बैंक के सामने पटेलनगर उ0नि0 श्री सुनील चौधरी द्वारा मय टीम के दबिश दी गयी। दबिश के दौरान रेस्टोरेन्ट के अन्दर कम उम्र के बच्चे हुक्का पीते हुए मिले मौके पर ही गंगाप्रसाद पुत्र रुपराम नि0 हारुनगला थाना बारादरी 2.अमित पुत्र राजपाल नि0 जिला अस्पताल कैम्पस मजार के पास कोतवाली 3.मौ0 शकील पुत्र अब्दुल मजीद नि0 मुंशीनगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया तथा रेस्टोरेन्ट का संचालक अक्षय पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्रीन पार्क थाना बारादरी बरेली मौके से फरार था मौके पर एक हुक्का चालू हालत मे एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां बरामद हुयी उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना प्रेमनगर पर मु0अ0स0 581/2020 धारा 188,269.270 भादवि 3 महामारी अधिनियम 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम एवं 77 किशोर न्याय अधिनियम पंजीकृत किया गया। उपरोक्त रेस्टोरेन्ट के विरुद्ध पूर्व मे भी मु0अ0स0 470/2019 धारा 269 भादवि 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम एवं मु0अ0स0 380/2020 धारा 269 भादवि 6 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम पंजीकृत है । जिसमे आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।अभि0 अक्षय की तलाश जारी है।

अपराध करने का तरीका -

अभि0गण द्वारा बार एवं रेस्टोरेन्ट मे नाबालिग बच्चो को हुक्का सेवन कराना ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सौरभ पुत्र महेश नि0 संजयनगर थाना बारादरी जिला बरेली
2. शानू भारती पुत्र दयाशंकर नि0 माधौवाडी थाना बारादरी जिला बरेली
3. गंगाप्रसाद पुत्र रुपराम नि0 हारुनगला थाना बारादरी जिला बरेली
4. अमित पुत्र राजपाल नि0 जिला अस्पताल कैम्पस मजार के पास कोतवाली जिला बरेली
5. मौ0 शकील पुत्र अब्दुल मजीद नि0 मुंशीनगर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली

बरामदगी:-

1. ग्रीन चिल्ली तीन हुक्का चालू हालत मे दो अधूरे एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां
2. ब्रू बेरी से एक हुक्का एवं तम्बाकू फ्लेवर की डिब्बियां

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री मदन सिंह
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
3. का0 2196 रोहित
4. का0 1763 पवन कुमार
5. का0 2200 त्रिवेन्द्र कुमार
6. का0 1754 गौतम गिरी